

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 881

दिनांक 08/04/2024

**प्रार्थीगण:-**

1.खमीचा 2.जमालदीन पि.बागा 3.भूरा  
4.सखी 5.साहबेक 6.हिन्दाल पि.रहीम  
जातियान मुसलमान, निवासी गोलियार(सणाऊ)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1.हयात पुत्र खेरा 2.सलीम पुत्र खेरा,  
जातियान मुसलमान, निवासी गोलियार(सणाऊ)  
3.तहसीलदार चौहटन 4.हबीब पुत्र रहीम, जाति मुसलमान  
निवासी गोलियार(सणाऊ), तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 31/2023

दिनांक : 04.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा गोलियार के खेत खसरा सं. 96 रकबा 01.8616 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।  
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 882 to 885

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खमीचा वगैरा
3. विप्रार्थीगण हयात वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 08/04/2024



(सूरजभान विशनोई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन